



असंशोधित

14 JUL 1952

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

(भाग १-कार्यवाही-प्रश्नोत्तर)

अल्प सूचित प्रश्न सं०: - ख-37

श्री रमेन्द्र कुमार: अध्यक्ष महोदय, मैं पूछता हूँ।

श्री शंकर प्रसाद टेकरियालः मंत्री: अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न योजना एवं विकास विभाग को स्थानान्तरित कर दिया गया है।

श्री रमेन्द्र कुमार: अध्यक्ष महोदय...

श्री शंकर प्रसाद टेकरियालः मंत्री: अध्यक्ष महोदय, प्रश्न का स्वस्म आप देखेंगे तो स्पष्ट होगा कि यह प्रश्न योजना एवं विकास विभाग से संबंधित है क्योंकि माननीय सदस्य ने जानना चाहा है कि राँयल्टी से कितनी आमदनी होती है उसका एक परसेंट भी इन जिलों में विकास में खर्च नहीं होता है, तो विकास की यह राशि योजना और विकास विभाग देता है, न कि खनन विभाग। खनन विभाग का इतना ही काम है राँयल्टी वसूल करना। हम राँयल्टी वसूल करके फंड में जमा कर देते हैं और विकास के लिए किस जिले में कितना पैसा दिया जाएगा, यह योजना और विकास विभाग करता है, इसी लिए यह प्रश्न योजना एवं विकास विभाग को स्थानान्तरित कर दिया गया है।

श्री रमेन्द्र कुमार: अध्यक्ष महोदय, मेरा आप सुन लीजिए। यह प्रश्न, अध्यक्ष महोदय, मैंने वित्त विभाग से पूछा था। यह प्रश्न कृपया देखा जाए, "ख" को। क्या लिखा हुआ है? यह वित्त विभाग से स्थानान्तरित करके खनन विभाग को भेजा गया है। यदि मंत्रीजी का कहना है कि योजना विभाग इसका जवाब देना तो वित्त विभाग को योजना विभाग को भेजना चाहिए था, वित्त विभाग ने इसे खनन एवं भूतत्व को भेज दिया और माननीय मंत्री कहते हैं कि हमने योजना विभाग को भेज दिया, योजना कहेगा कि हम राजस्व को भेज दिए, इसी लिए यह मामला खनन विभाग से संबंधित है क्योंकि कोयले से जो वसूली होती है वह खनन विभाग ही वसूल करके जमा करता है, इसी लिए मूल प्रश्न खनन विभाग से है कि क्या कोयले से राँयल्टी मद से आता है, सालाना सात सौ करोड़ रुपये की आमदनी होती है या नहीं और यदि होती है तो संबंधित जिला को सरकार कितनी राशि विकास कार्य में देना चाहती है?

श्री शंकर प्रसाद टेकरियालः मंत्री: अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का दो भाग है। एक भाग है कि जितने जिलों का नाम माननीय सदस्य ने दिया है उसमें राँयल्टी के मद में कितनी राशि प्राप्त होती है, सात सौ करोड़ रुपये इन्होंने बताया है, तो वित्त विभाग ने हमारे यहां प्रश्न भेज दिया, हमने कितनी राशि प्राप्त होती है, यह लिख कर योजना एवं विकास विभाग को भेज दिया है और योजना एवं विकास विभाग इनको एक परसेंट दे, दो परसेंट दे या आधा परसेंट दे, इसमें हमको कुछ नहीं कहना है।

श्री महेन्द्र प्रोसिंह: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जवाब दें कि राँधेल्ली से इनको कितनी राशि प्राप्त होती है ? प्रश्न कर्त्ता ने जो राशि पूछी है वह सही है या नहीं, तो जवाब दें ?

अध्यक्ष: यह प्रश्न इन्होंने योजना विभाग को भेज दिया और योजना को जो भेजा, उसमें उन्होंने यह लिखा कि कितनी ^{धन-}राशि प्राप्त हुई हजारीबाग, गिरिडीह, बोकारो, धनबाद, गोड्डा, राँची, ^{और} पलामू जिलों में। अब अगले दिन योजना विभाग इसका उत्तर देंगे।

अल्प सूचित प्रश्न सं०: 38

अध्यक्ष: माननीय सदस्य श्री ब्रजमोहन राय... श्री ब्रजमोहन राम... अब तारांकित प्रश्न लिये जायेंगे।

तारांकित प्रश्न सं०: क. 500

श्री सुशील कुमार मोदी: अध्यक्ष महोदय, मैं पूछता हूँ।

अध्यक्ष: माननीय मंत्री, उत्पाद एवं मध्य निषेध विभाग।

माननीय सदस्यों से एक आग्रह करना चाहता हूँ। आप सवाल तो पूरा पूछ ही देते हैं तो किसी अखबार के खबर की कटिंग को शामिल करने की क्या जरूरत है। आपने तो कोशचन पूरा पूछ ही दिया है।

श्री राजो सिंह: अध्यक्ष महोदय, हम जो प्रश्न पूछते हैं तो उसका आधार क्या है वह आपका ऑफिस मांगता है। आप अपने ऑफिस को कहिये कि वह कतरा नहीं मांगे।

श्री राम जतन सिन्हा: अध्यक्ष महोदय, जो पेपर कटिंग लगा कर देते हैं उसको तो जरूर स्वीकार कर लिये जाते हैं, हालांकि उसको अस्वीकार होना चाहिए।

अध्यक्ष: पेपर कटिंग की जरूरत नहीं है। हम समझते हैं विभाग को तो मांग रहा ही है।

श्री चन्द्र मोहन राय: अध्यक्ष महोदय, पेपर कटिंग नहीं लगाने पर मेरा प्रश्न काट दिया गया है।

श्री पीताम्बर पासवान ^{मंत्री}: 1- उत्तर अस्वीकारात्मक है। इन तीनों प्रमंडलों के पलामू एवं गढ़वा जिलों को छोड़ कर मेख जिले में सैबेट में देशी शराब आपूर्ति करने की प्रथा लागू कर दी गयी है। अपवारस्वस कुछ मामले प्रकाश में आए हैं।